केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग
नई दिल्ली–110016
TEL. 26965154 FAX 26514179

फा.सं: 12–16/99–के.वि.सं.(प्रशा.–1)

दिनॉक: 26–07–2007

सहायक आयुक्त
केन्द्रीय विद्यालय संगठन
समस्त क्षेत्रीय कार्यालय

स्पीड पोस्ट/फैक्स

विषय:– शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों, जिन्हें अवकाशीय स्टाफ की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, को अवकाश वेतन की देयता के संबंध में।

महोदय/महोदया,

वे शिक्षक और अन्य कर्मचारी जिन्हें 'अवकाशीय स्टाफ' की श्रेणी में रखा गया है को शीतकालीन स्टेशनों पर नियुक्ति के दौरान अवकाश वेतन की देयता की ओर केन्द्रीय विद्यालय संगठन का ध्यान आकर्षित किया गया था। तदनुसार यह मामला केविसं की वित्त समिति के समक्ष दिनांक 13.06.2007 को संपन्न हुई बैठक में रखा गया, समिति ने विचार विमर्श के उपरान्त शिक्षा संहिता के अनुच्छेद 67 में संशोधन के प्रस्ताव को अधिशासी मंडल के समक्ष रखने की सिफारिश की।

अत: संघ के ज्ञापन तथा केविसं की नियमावली के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिशासी मंडल ने दिनांक 20.06.2007 को संपन्न हुई 77वीं बैठक में शिक्षा संहिता के अनुच्छेद 67 में शिक्षा संहिता का उक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार अनुमोदित किया:–

शिक्षा संहिता का अनुच्छेद 67	
वर्तमान	संशोधित
1) विद्यालय के शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी जिन्हें अवकाशीय स्टाफ की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है तथा जिन्हें दीर्घ अवकाश (ग्रीष्म /शीत) के दौरान ड्यूटी के लिए नहीं बुलाया जाता हो, तो वे अवकाशीय वेतन के लिए तभी हकदार होगें जब उन्होंने पूर्व शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम 5 माह की अवधि के लिए कार्य किया हो।	1) विद्यालय के शिक्षक तथा अन्य कर्मचारी जिन्हें अवकाशीय स्टाफ के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा जिन्हें दीर्घावकाश (ग्रीष्म/शीत /वर्षा) के दौरान ड्यटी के लिए नहीं बुलाया गया, वे अवकाशीय वेतन के तभी हकदार होगें जब उन्होंने अवकाश (ग्रीष्म/शीत/वर्षा) आरंभ होने के पहले के 12 महीनो के दौरान कम से कम पांच महीने की अवधि के लिए वास्तव में कार्य किया हो।
(टिप्पणी : (क) उपरोक्त पांच महीनों की अवधि की गणना के लिए मातृत्व अवकाश के अलावा और किसी अवकाश की गणना नहीं की जाएगी।)	(टिप्पणी : (क) उपरोक्त पांच महीनों की अवधि की गणना के लिए मातृत्व अवकाश के अलावा और किसी अवकाश की गणना नहीं की जाएगी।)

2. शिक्षा संहिता के अनुच्छेद 67 के अन्य प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।
3. कृपया इसे आपके प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सभी केन्द्रीय विद्यालयों में परिचालित करवाने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी के सैनी)
उपायुक्त (प्रशा.)

वितरण:–

1. समस्त अधिकारी/अनुभाग, के.विसं(मु0) नई दिल्ली ।
2. निदेषक जैड आई ई टी, मंबई [illegible]

18 INSTITUTIONAL AREA
SHAHEED JEET SINGH MARG
NEW DELHI-110 016.

F.12-16/99-KVS (Admn. -I)

Date 26.07.2007

SPEED POST

The Assistant Commissioner
Kendriya Vidyalaya Sangathan
All Regional Offices.

Subject: Admissibility of Vacation Pay to Teachers and other staff categorized as "Vacational"- reg

Sir / Madam,

The attention of KVS was drawn towards admissibility of vacation pay to teachers and other staff categorised as "Vacational" while posted at the winter station. Accordingly the matter was placed before the Finance Committee KVS in its meeting held on 13[th] June 2007 whereby the Committee after deliberation recommended the proposal to BOG for amendment in Article 67 of Education Code.

Thus in exercise of powers conferred by the Memorandum of Association and Rules of the KVS, the Board of Governors in its 77[th] meeting held on 20.06.2007 have inter-alia approved **amendment of Article 67 as 6[th] amendment of the Education** Code as indicated below with immediate effect.

Article 67 of Education Code	
Existing	**Amended**
1) The teachers and other staff of Vidyalaya who have been classified as vacational and who are not called for duty during the long vacation (Summer/Winter) shall be entitled to vacation pay only when they actually worked for a minimum period of five months' in the preceding Academic Year.	1) The teachers and other staff of Vidyalaya who have been classified as vacational and who are not called for duty during the long vacation (Summer/Winter/ Monsoon) shall be entitled to vacation pay only when they have actually worked for a minimum period of five months' during the period of twelve months immediately before the start of vacation (Summer/Winter/Monsoon)
(Note: (a) No leave other than maternity leave shall be taken into account for calculating the aforesaid period of five months.)	(Note: (a) No leave other than maternity leave shall be taken into account for calculating the aforesaid period of five months.)

2. The remaining provisions of Article 67 of Education Code remains unchanged.
3. This may be circulated among all Kendriya Vidyalayas falling under your administrative jurisdiction.

Yours faithfully

(signature)

(D.K. Saini)
Deputy Commissioner (Admn.)

Distribution

1. All Officers/Sections KVS(Hqrs) New Delhi.
2. The Director ZIETs, Mumbai, Gwalior. and Mysore.
3. The Principal K.V. Moscow, Kathmandu and Tehran.
4. The Secretary/President all recognized Staff Associations.

1821
16/8/07

Pl. circulate

14/8/07

AS.
LDC-3